



संख्या:68/2026/347/आठ-1-26/2005957

प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 24 मार्च, 2026

विषय: जनपद कानपुर में मैनावती मार्ग का चौड़ीकरण एवं माडल रोड के रूप में विकास कार्य संबंधी परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने तथा प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-डी-761/अ0अ0/का0वि0प्रा0/2025-26, दिनांक 12.02.2026 एवं पत्र संख्या-D/149/CE/K.D.A./2025-26 दिनांक 23.12.2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कानपुर में मैनावती मार्ग का चौड़ीकरण एवं माडल रोड के रूप में विकास कार्य संबंधी परियोजना की मूल्यांकित लागत ₹0 2944.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रुपये 1030.40 लाख (रुपये दस करोड़ तीस लाख चालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

- (1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (2) कार्यदायी संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कानपुर विकास प्राधिकरण की होगी तथा कानपुर विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

- (4) स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी बैंक/डिपॉजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाए तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में शासन को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- (5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना में सामाग्री का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।
- (6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (7) कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने के दृष्टि से कानपुर विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित/प्रस्तावित है।
- (8) कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (9) कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सेन्टेज चार्ज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबन्धन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (10) कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा लगायी गयी समस्त शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। कानपुर विकास प्राधिकरण का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही कानपुर विकास प्राधिकरण का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट /स्टील इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्धी में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं०-2/2022/ई-8-202/दस-2022,

दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

- (12) प्रायोजनान्तर्गत प्राविधानों को यथावत मानते हुए प्रायोजना का परीक्षण किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (13) कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (14) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डीओपीओआरओ गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाए, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
- (15) कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा)अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (16) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था -कानपुर विकास प्राधिकरण को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।
- (17) उक्त परियोजना की नोडल एजेंसी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-कानपुर विकास प्राधिकरण होगी। कार्यदायी संस्था- कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेंसी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम

से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

- (18) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाए।
- (19) प्रायोजना का निर्माण कार्य 18 माह में पूर्ण कर लिया जाना है ताकि टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन इत्यादि के कारण प्रायोजना के पुनरीक्षण की आवश्यकता न हो।
- (20) प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल/आडिट की धनराशि आंकलित लागत में सम्मिलित की गयी है। अतः थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट (TPQA) हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के संबंध में वित्त लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-2/2026/ए-2-आई/1172817/2025/दस-2025, दिनांक 02 जनवरी, 2026 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (21) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के शासनादेश सं0-5/2021/File No/65-2013/2/2019-2 दिनांक 15.01.2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in India, 2021" दिये गये प्राविधानों के अनुसार प्रशासकीय विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (22) कार्यदायी संस्था द्वारा व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.02.2026 के कार्यवृत्त में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1030.40 लाख (रुपये दस करोड़ तीस लाख चालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-002 के लेखाशीर्षक-4217608000700 मानक मद 24 -वृहद निर्माण के अन्तर्गत लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (नये कार्य) मद में डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-E-8-1067-X-2025-26 दिनांक 13.03.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
राजेश कुमार राय
विशेष सचिव।

संख्या: 68/2026/347(1)/आठ-1-26/2005957. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (3) मण्डलायुक्त, कानपुर।
- (4) जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
- (5) सचिव/वित्त नियंत्रक, कानपुर विकास प्राधिकरण को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, 30प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध कराये।
- (6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (8) निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अप-लोड करने हेतु।
- (9) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
- (10) नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
- (11) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- (12) लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, 30प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कानपुर विकास प्राधिकरण के खाता संख्या में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- (13) गार्डफाइल।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव।